हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

द्वितीय सत्र

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940(शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

दिन के लिए

पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 2 अप्रैल, 2018 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

3. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे:**

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कोष नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:फिन(टीआर)ए(3)11/2004-शिमला-9 दिनांक 23.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.10.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री किशन कपूर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप) निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, वर्ग-III(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:एफ.डी.एस.-ए(3)-2/2014 दिनांक 03.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.03.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17; और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16(विलम्ब के कारणों सहित) ।

4. सदन की समिति के प्रतिवेदन :

श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **पंचम कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 57वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है ।

5. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:</u>

(1) **श्री जगत सिंह नेगी, " हाल ही में प्रदेश में असामाजिक तत्वों द्वारा दर्जनों विकास कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़े जाने ",** से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) **श्री राकेश पठानिया**, दिनांक 27 फरवरी, 2018 को अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक **"के0सी0सी0 बैंक में भी पांच 'नीरव', 120 करोड़ दबाए"**, से उत्पन्न स्थिति की ओर **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 31 मार्च, 2018 सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)